



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-12/2023-24

सरकार

बनाम्

पंकज कु0 मंडल एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 11/8/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या-34/2022 दिनांक-16.08.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक-2213/अप0शा0 दिनांक-12.05.2023 से धारा-414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत कांड में जप्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं0-BR10AC-7115 (इंजन नं0-HA10AGKHF27633, चेचिस नं0-MBLHAW088KHF60848), 2. नीला रंग का पेशन-प्रो रजिस्ट्रेशन नं0-अंकित नहीं, (इंजन नं0-HA10ENCHM06833, चेचिस नं0-MBLHA10AWCHM26801), 3. नीला रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं0-अंकित नहीं, (इंजन नं0-04B08M46721, चेचिस नं0-04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं0-JH17C-1496, (इंजन नं0-HA10E09GL30249, चेचिस नं0-MBLHA10ER9GL29511) तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, बोआरीजोर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं0-BR10AC-7115 (इंजन नं0-HA10AGKHF27633, चेचिस नं0-MBLHAW088KHF60848), 2. नीला रंग का पेशन-प्रो रजिस्ट्रेशन नं0-अंकित नहीं, (इंजन नं0-HA10ENCHM06833, चेचिस नं0-MBLHA10AWCHM26801), 3. नीला रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं0-अंकित नहीं, (इंजन नं0-04B08M46721, चेचिस नं0-04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो

पैशन-प्रो, जिसका निबंधन सं०-JH17C-1496 (इंजन नं०-HA10E09GL30249, चेचिस नं०-MBLHA10ER9GL29511), के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-414/34 भा०द०वि०, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं०-BR10AC-7115 (इंजन नं०-HA10AGKHF27633, चेचिस नं०-MBLHAW088KHF60848), 2. नीला रंग का पेशन-प्रो रजिस्ट्रेशन नं०-अंकित नहीं (इंजन नं०-HA10ENCHM06833, चेचिस नं०-MBLHA10AWCHM26801), 3. नीला रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं०-अंकित नहीं, (इंजन नं०-04B08M46721, चेचिस नं०-04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो पैशन-प्रो, जिसका निबंधन सं०-JH17C-1496, (इंजन नं०-HA10E09GL30249, चेचिस नं०-MBLHA10ER9GL29511), के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं०-BR10AC-7115 (इंजन नं०-HA10AGKHF27633, चेचिस नं०-MBLHAW088KHF60848), के मालिक पंकज कुमार मंडल, पिता-शंकर मंडल, सा०-ओलापुर, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर, बिहार, 2. नीला रंग का पेशन-प्रो रजिस्ट्रेशन नं०-अंकित नहीं, (इंजन नं०-HA10ENCHM06833, चेचिस नं०-MBLHA10AWCHM26801), के मालिक उपयोगकर्ता मो० माजिद अंसारी, पिता-मो० अबुल अंसारी, सा०-रिफादपुर, थाना-ईशीपुर, बाराहाट, जिला-भागलपुर, बिहार, 3. नीला रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं०-अंकित नहीं, (इंजन नं०-04B08M46721, चेचिस नं०-04C04C00536), के मालिक का नाम पता का सत्यापन अनुसंधान के क्रम में नहीं हो पाया है एवं 4. लाल रंग का हीरो पैशन-प्रो, जिसका निबंधन सं०-JH17C-1496, (इंजन नं०-HA10E09GL30249, चेचिस नं०-MBLHA10ER9GL29511), के मालिक अरुण कुमार साह, पिता-रामनरेश साह, सा०-चपरी, थाना-ठाकुरगंगटी, जिला -गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं०-BR10AC-7115 (इंजन नं०-HA10AGKHF27633, चेचिस नं०-MBLHAW088KHF60848) 2. नीला रंग का पेशन-प्रो रजिस्ट्रेशन नं०-अंकित

नहीं, (इंजन नं०— HA10ENCHM06833, चेचिस नं०—MBLHA10AWCHM26801)
 3. नीला रंग का हीरो पेशन—प्रो, जिसका निबंधन सं०—अंकित नहीं, (इंजन नं०—04B08M46721, चेचिस नं०—04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो पेशन—प्रो, जिसका निबंधन सं०—JH17C-1496, (इंजन नं०—HA10E09GL30249, चेचिस नं०—MBLHA10ER9GL29511) एवं उस पर लदे कोयला के विरुद्ध धारा—414/34 भा०द०वि०, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट—1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को नोटिश देने के बाद भी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनलॉगो की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण को कुछ नहीं कहना है।

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि को धारा—414/34 भा०द०वि०, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट—1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं०—BR10AC-7115 (इंजन नं०—HA10AGKHF27633, चेचिस नं०—MBLHAW088KHF60848) 2. नीला रंग का पेशन—प्रो रजिस्ट्रेशन नं०—अंकित नहीं, (इंजन नं०—HA10ENCHM06833, चेचिस नं०—MBLHA10AWCHM26801) 3. नीला रंग का हीरो पेशन—प्रो, जिसका निबंधन सं०—अंकित नहीं, (इंजन नं०—04B08M46721, चेचिस नं०—04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो पेशन—प्रो, जिसका निबंधन सं०—JH17C-1496, (इंजन नं०—HA10E09GL30249, चेचिस नं०—MBLHA10ER9GL29511), के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है। विपक्षीगण न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनलॉगो के द्वारा कोई भी कागजात दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. काला रंग का हीरो स्पलेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं०—BR10AC-7115 (इंजन नं०—HA10AGKHF27633, चेचिस नं०—MBLHAW088KHF60848) 2. नीला रंग का पेशन—प्रो रजिस्ट्रेशन नं०—अंकित नहीं, (इंजन नं०—HA10ENCHM06833,

चेचिस नं0-MBLHA10AWCHM26801) 3. नीला रंग का हीरो पेशन-प्रो, जिसका निबंधन सं0-अंकित नहीं, (इंजन नं0-04B08M46721, चेचिस नं0-04C04C00536) एवं 4. लाल रंग का हीरो पैशन-प्रो, जिसका निबंधन सं0-JH17C-1496, (इंजन नं0-HA10E09GL30249, चेचिस नं0-MBLHA10ER9GL29511) एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, बोआरीजोर को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा। 02/08/23


उपायुक्त
गोड्डा। 02/08/23

520 970-195
02.08.23